समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

P-5319 / 6-12-14 Regn. 4220-PBR/14

प्र. क्र. / /14

सोहेल खां आ0 अजगर अली
निवासी ग्राम भानपुर केकडिया तहसील
हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

इसरत आ0 रईस खां
निवासी ग्राम भानपुर केकडिया तहसील
हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 ......अनावेदक

3875

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35. (3) म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :

1. यह कि आवेदक ने राजस्व निरीक्षक द्वारा कि गयी विवादित सीमांकन कि कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो सुनवाई हेतु दिनांक 26/09/2013 को नियत थी ।
2. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक को आश्वासन दिया गया था । प्रकरण यदि आवेदक कि आवश्यकता होगी तो वह आवेदक को सूचना देगें । परिणाम स्वरूप आवेदक अपने अभिभाषक द्वारा दिये गये आश्वासन पर विश्वास करते रहे । परन्तु दिनांक 29/09/2014 को जब अधिनस्थ तहसील द्वारा अधिनियम कि धारा 250 का के प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित किया तो आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण कि जानकारी के लिये सम्पर्क किया गया तो आवेदक अभिभाषक द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नही दिये जाने के कारण आवेदक दिनांक 26/11/14 को प्रकरण कि जानकारी के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदक को जानकारी प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 26/09/2013 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया है ।
3. यह कि आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक को प्रकरण कि पेशी के सबन्ध में जानकारी नही दी गयी थी । इसलिये आवेदक नियत पेशी दिनांक को 26/09/2006 को माननीय न्यायालय के समक्ष को उपस्थित नही हो सका ।

R. 4220-PBR/16 गोपाल

11.5.2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 3546-पीबीआर/12 दिनांक 26.9.2013 को अदम पैरवी में निरस्त हुआ है, और पुनर्स्थापन आवेदन पत्र दिनांक 6.12.2014 को लगभग 1 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की ओर से विलम्ब का कारण उनके अभिभाषक द्वारा जानकारी नहीं देना बतलाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है। अतः यह पुनर्स्थापन अवधि बाधित होने से निरस्त किया जाता है।

अध्यक्ष

इसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बड़वानी जिला बड़वानी द्वारा रा.प्र.क. 02/अ–12/2014–15 में प्रस्तुत प्रतिवेदन, सीमांकन पंचनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 से असंतुष्ट व व्यथित होकर यह निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।